रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 188] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 9, 1999 चैत्र 19, 1921
No. 188] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 9, 1999/CHAITRA 19, 1921

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 1999

का. आ. 244(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आवंटन) (दो सौ चयालीसवां संशोधन) नियम, 1999 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 में,—

(1) प्रथम अनुसूची में,—

(क) '25. योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय' शीर्षक के अधीन, "(ii) सांख्यिकी विभाग" और "(iii) कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग' उप-शीर्षकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ii) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग।',

(ख) '28. ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय' शीर्षक और उसके अधीन उप-शीर्षकों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक और उप-शीर्षक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

'28. ग्रामीण विकास मंत्रालय

(i) ग्रामीण विकास विभाग

(ii) भूमि संसाधन विभाग ।';

(ग) '33. शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय' शीर्षक और उसके नीचे के उप-शीर्षकों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

'33. शहरी विकास मंत्रालय';

(2) द्वितीय अनुसूची में,-

(क) 'कृषि मंत्रालय' शीर्षक के अधीन, 'क. कृषि और सहकारिता विभाग' उप-शीर्षक के नीचे, प्रविष्टि 47 के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

'47क. ग्रामीण क्षेत्रों में भाण्डागारण जिसमें ग्रामीण गोदाम भी आते हैं ।';

(ख) योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय' शीर्षक के अधीन, 'ख. सांख्यिकी विभाग' और .. कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग' उप- शीर्षकों और उनके नीचे की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उप-शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

'ख. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग

1. देश में सांख्यिकी प्रणाली के एकीकृत विकास की योजना बनाने के लिए एक केन्द्रीय (नोडल) अभिकरण के रूप में कार्य करना ।

2. भारत सरकार के विभागों और राज्य सांख्यिकी ब्यूरो (एस एस बी) के सांख्यिकी या आंकड़ों की उपलब्धता की अतारतम्यता या उनकी पुनरावृत्ति का पता लगाने की दृष्टि से सांख्यिकीय कार्य में समन्वय करना तथा आवश्यक उपचारात्मक उपाय सुझाना ।

3. सांख्यिकी के क्षेत्र में आंकड़ों के, जिसमें संग्रहण, प्रसंस्करण की संरचना और परिभाषाएं, कार्य प्रणाली और परिणामों का प्रसार भी है, सन्नियमों तथा मानकों को अधिकथित करना और उनका अनुरक्षण ।

4. भारत सरकार के विभागों को सांख्यिकीय पद्धति और आंकड़ों के सांख्यिकीय विश्लेषण के बारे में सलाह देना ।

5. राष्ट्रीय/क्षेत्रीय लेखा तैयार करना और साथ ही राष्ट्रीय उत्पाद,सरकारी /निजी अंतिम खपत व्यय, पूंजी निर्माण, बचत, पूंजीगत स्टाक का

प्राक्कलन और नियत पूंजी की खपत तथा उपरि क्षेत्रीय (सुपरा-रीजनल) सेक्टरों के राज्य स्तरीय सकल पूंजी निर्माण के भी राष्ट्रीय प्राक्कलन प्रकाशित करना तथा चालू कीमतों पर राज्य घरेलू उत्पाद के तुलनात्मक प्राक्कलन तैयार करना ।

6. तुरंत प्राक्कलन के रूप में प्रतिमास औद्योगिक उत्पादन सूचकांक संकलित करना और जारी करना, उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण करना और संगठित विनिर्माणकारी (कारखाना) सैक्टर की वृद्धि, संरचना और ढांचे में परिवर्तनों के निर्धारण और मूल्यांकन के लिए सांख्यिकीय जानकारी उपलब्ध कराना ।

7. अखिल भारतीय कालिक आर्थिक संगणना का आयोजन और संचालन करना और नमूना सर्वेक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना ।

8. रोजगार, उपभोक्ता व्यय,आवासन परिस्थितियां और पर्यावरण, साक्षरता स्तर,स्वास्थ्य,पोषाहार,परिवार कल्याण, आदि जैसे विविध सामाजिक- आर्थिक क्षेत्रों के विभिन्न जनसंख्या समूहों के फायदों के लिए विशिष्ट समस्याओं के प्रभाव के अध्ययनार्थ आवश्यक डाटा बेस सृजित करने के लिए बड़े पैमाने पर अखिल भारतीय नमूना सर्वेक्षणों का संचालन करना ।

9. सर्वेक्षण रिपोर्टों की तकनीकी दृष्टि से समीक्षा करना और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन तथा अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए जाने वाले सर्वेक्षणों के संबंध में सर्वेक्षण साध्यता अध्ययनों/तकनीकी विश्लेषणात्मक अध्ययनों सहित,उपयुक्त नमूना अभिकल्प का मूल्यांकन करना ।

10. विभिन्न सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों के माध्यम से संग्रहित आंकड़ों पर आगामी कार्रवाई के लिए स्वसुविधा उपलब्ध कराना और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन तथा केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा संचालित अर्थिक संगणना के सर्वेक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना ।

11. सरकारी/अर्ध-सरकारी या निजी डाटा प्रयोगकर्ताओं/अभिकरणों के अनेक नियमित या तदर्थ प्रकाशनों के माध्यम से विभिन्न पहलुओं पर सांख्यिकीय सूचना का प्रसार करना, और संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों जैसे युनाइटेड नेशन्स स्कूल आर्गेनाईजेशन, एकोनामिक एण्ड शोसल कमीशन फार एशिया और दि पेशिफिक एण्ड इंटरनेशनल लेबर आर्गेनाईजेशन, और अन्य सुसंगत अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों को, उनके अनुरोध पर, डाटा प्रसारित करना ।

12. विशेष अध्ययन या सर्वेक्षण, सांख्यिकीय रिपोर्टों का मुद्रण और शासकीय सांख्यिकीय के विभिन्न विषय क्षेत्रों से संबंधित वित्त संगोष्ठी/कार्यशाला/सम्मेलन करने के लिए प्रख्यात रजिस्ट्रीकृत गैर-सरकारी संगठनों और अनुसंधान संस्थानों को सहायता अनुदान देना।

13. एक संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण के रूप में कार्य करना तथा भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रबंधन, जिसमें प्रशिक्षण, व्यवसाय आयोजन और जनशक्ति आयोजन से संबंधित सभी मामले हैं, के मुख्य पहलुओं की बाबत कार्य करना ।

14. भारतीय सांख्यिकी संस्थान और उसके कृत्यकरण को भारतीय सांख्यिकीय संस्थान अधिनियम,1959 (1959 का 57) के उपबंधों के अनुसार सुनिश्चित करना ।

15. बीस सूत्री कार्यक्रम को मानीटर करना ।

16. आधारभूत संरचना सेक्टरों के कार्य निष्पादन को मानीटर करना; और

17. बीस करोड़ रुपए और उससे अधिक की परियोजनाओं को मानीटर करना।'।

(ग) 'ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय' शीर्षक और उससे सम्बद्ध उप-शीर्षकों और प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक, उप-शीर्षक तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

'ग्रामीण विकास मंत्रालय

क. 'ग्रामीण विकास विभाग

1. पंचायती राज और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सभी मामले ।

2. प्रारंभिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य , ग्रामीण विद्युतीकरण और पोषाहार कार्यक्रमों के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से संबंधित सभी मामलों का केन्द्रीय उत्तरदायित्व।

3. ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित (जल संसाधन मंत्रालय को सौंपे गए जल योजना और समन्वय के संपूर्ण राष्ट्रीय परिपेक्ष्य के अधीन रहते हुए) जल प्रदाय, मल व्ययन, जल निकास और स्वच्छता । इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी सहायता ।

4. लोक सहकारिता, जिसके अंतर्गत ग्रामीण विकास के लिए स्वयंसेवी अभिकरणों और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि से संबंधित सब विषय भी हैं ।

5. इस सूची की मदों से संबंधित सहकारी समितियां ।

6. इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय से संबंधित सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय अथवा अन्य संगठन ।

7. ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के मामलों सहित ग्रामीण सड़कों से संबंधित सभी मामले ।

8. असम के उन जनजातीय क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णत: या अंशत: वित्त पोषित सड़क संकर्म जो संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 20 से उपाबद्ध सारणी के भाग-I और भाग-II में विनिर्दिष्ट हैं ।

9. दि सेंटर फार इंटेग्रेटिड रूरल डेवलपमेंट फार एशिया एंड पेसिफिक (सी0आई0आर0डी0ए0पी0) तथा दि एफ्रो एशियन रूरल रिकंस्ट्रक्शन आर्गेनाइजेशन (ए0ए0आर0आर0ओ0) के सहकार से संबंधित सभी मामले ।

10. (क) ग्रामीण रोजगार या बेरोजगारी से संबंधित सभी विषय, जैसे ग्रामीण रोजगार की नीतियां और कार्यक्रम, जिनके अंतर्गत विशेष संकर्म, मजूदरी या आय में वृद्धि भी है, तैयार करना और उससे संबंधित प्रशिक्षण,

(ख) समय-समय पर बनाए गए ग्रामीण रोजगार के विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों का कार्यान्वयन,

(ग) ग्रामीण रोजगार या बेरोजगारी से संबंधित सूक्ष्म स्तर आयोजन तथा उसके लिए प्रशासनिक ढांचा ।

11. सर्वांगीण ग्रामीण विकास जिसमें लघु कृषक विकास अभिकरण, सीमांत कृषक और कृषि मजदूर, आदि सम्मलित हैं ।

12. ग्रामीण आवास, जिसके अंतर्गत ग्रामीण आवास नीति भी है और देश में उससे संबद्ध और अनुषांगिक सभी मामले या ग्रामीण योजना जहां तक कि उसका संबंध ग्रामीण क्षेत्रों से है ।

ख. भूमि संसाधन विभाग

1. भूमि सुधार, भूधृति, भू-अभिलेख, जोत भूमि की चकबंदी तथा उससे संबंधित अन्य मामले ।

2. भूमि अर्जन अधिनियम,1894 (1894 का 1) का प्रशासन और संघ के प्रयोजनों के लिए भूमि अर्जन संबंधी मामले ।

3. किसी राज्य में उस राज्य से बाहर पैदा हुए कर विषयक दावों तथा अन्य लोक मांगों, जिनके अंतर्गत भू-राजस्व बकाया और इस प्रकार वसूल की जाने वाली बकाया भी है, की वसूली ।

4. भूमि, अर्थात् भाटक का संग्रहण, भूमि का अंतरण और अन्य संक्रामण, भूमि सुधार और कृषि संबंधी उधार जिनके अंतर्गत कृषि से भिन्न भूमि या भवन का अर्जन, नगर योजना सुधार नहीं है ।

5. भू-राजस्व जिसके अंतर्गत राजस्व निर्धारण और संग्रहण, राजस्व प्रयोजनों के लिए सर्वेक्षण और राजस्व का अन्य संक्रामण भी है ।

6. कृषि भूमि के उत्तराधिकार की बाबत शुल्कें ।

7. राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड ।

8. राष्ट्रीय भूमि उपयोग और बंजर भूमि विकास परिषद ।

9. बंजर भूमि विकास के माध्यम से ग्रामीण नियोजन का संवर्धन ।

10. निजी बंजर भूमि सहित वन-इतर भूमि पर ईंधन लकड़ी, चारा और इमारती लकड़ी के उत्पादन का संवर्धन ।

11. दीर्घकालिक तरीकों से बंजरभूमि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए कम लागत की समुचित प्रौद्योगिकियों का अनुसंधान और विकास ।

12. कार्यक्रम-योजना और उसके कार्यान्वयन में अंतरविभागीय और अंतरविषयक समन्वय तथा प्रशिक्षण सहित, बंजरभूमि विकास कार्यक्रम।

13. बंजरभूमि के विकास के लिए लोगों की भागीदारी को बढावा और लोक सहकारिता तथा पंचायतों और स्वैच्छिक और गैर-सरकारी अभिकरणों के प्रयासों का समन्वयन ।

14. सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम ।

15. मरूस्थल विकास कार्यक्रम ।';

(घ) 'शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय' शीर्षक तथा उससे सम्बद्ध उप-शीर्षकों और प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

'शहरी विकास मंत्रालय

1. निम्नलिखित के सिवाय संघ की सम्पत्ति, चाहे भूमि हो अथवा भवन :
   (i) वे जो रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग की हों ।
   (ii) ऐसे भवन अथवा भूमि, जिनके निर्माण अथवा अर्जन के लिए धनराशि सिविल निर्माण बजट से भिन्न किन्हीं अन्य साधनों से जुटाई हो; और
   (iii) ऐसी भूमि अथवा भवन, जिसका नियंत्रण, उनके निर्माण अथवा अर्जन के समय अथवा बाद में, स्थायी रूप से दूसरे मंत्रालयों और विभागों को सौंप दिया गया हो ।

2. सब सरकारी सिविल संकर्म और भवन, जिनके अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्रों के संकर्म और भवन तो हैं, किन्तु सड़कें और रेल मंत्रालय, डाक विभाग,दूरसंचार विभाग परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग द्वारा निष्पादित संकर्म या उनके भवन नहीं हैं ।

3. उद्यान कृषि संक्रियाएं ।

4. केन्द्रीय लोक निर्माण संगठन ।

5. इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी होस्टलों सहित सरकारी सम्पदाओं का प्रशासन । महानगरों में कार्यालयों का अवस्थापन या वहां से उनका विसर्जन ।

6. विज्ञान भवन में जगह का आबंटन ।

7. स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 (1952 का 30) का प्रशासन ।

8. दिल्ली होटल (वास-सुविधा-नियंत्रण) अधिनियम, 1949 (1949 का 24) का प्रशासन ।

9. लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) ।

10. चार पुनर्वास बाजारों, अर्थात् सरोजिनी नगर मार्केट, शंकर मार्केट, प्लेजर गार्डन मार्केट और कमला मार्केट का प्रशासन ।

11. विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) के अधीन दिल्ली और नई दिल्ली में सरकार निर्मित सम्पत्तियों की बाबत पट्टा या हस्तांतरण पत्र जारी करना और पट्टा विलेखों का संपरिवर्तन करना तथा ऐसी सम्पत्तियों से लगी हुई भूमि की अतिरिक्त पट्टियों और सुधारक क्षेत्रों का आबंटन ।

12. भारत सरकार के लिए लेखन सामग्री और मुद्रण, जिसके अंतर्गत शासकीय प्रकाशन भी हैं ।

13. जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन मद 22 और 23 के अधीन रहते हुए सड़क पर आधारित प्रणाली की तकनीकी योजना सहित शहरी परिवहन प्रणाली की योजना और समन्वय तथा रेल मंत्रालय, रेल बोर्ड के अधीन मद 1 और 2 के अधीन रहते हुए रेल पर आधारित प्रणाली की तकनीकी योजना ।

14. नगर और ग्राम योजना, महानगरीय क्षेत्रों के विकास और योजना से संबंधित मामले । इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता और तकनीकी सहायता ।

15. दिल्ली में भूमि के बड़े पैमाने पर अर्जन, विकास और व्ययन की स्कीम ।

16. दिल्ली विकास प्राधिकरण ।

17. दिल्ली का मास्टर प्लान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मास्टर प्लान तथा गन्दी बस्ती सफाई विषयक काम का समन्वय ।

18. स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में स्मारकों का परिनिर्माण ।

19. दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) का प्रशासन ।

20. दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 (1958 का 59) ।

21. सरकारी बस्तियों का विकास ।

22. स्थानीय शासन, अर्थात् नगर निगमों का (जिनके अंतर्गत दिल्ली नगर निगम नहीं आता है), नगर पालिकाओं का (जिनके अंतर्गत नई दिल्ली नगर पालिका समिति नहीं आती है) और अन्य स्थानीय स्वायत्त प्रशासनों का, जिनके अंतर्गत पंचायती राज संस्थायें नहीं आती हैं, गठन और उनकी शक्तियां ।

23. दिल्ली नगर निगम का जल-प्रदाय और मल-व्ययन उपक्रम ।

24. शहरी क्षेत्रों से संबंधित (जल संसाधन मंत्रालय को सौंपे गए जल योजना और समन्वय के सम्पूर्ण राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अधीन रहते हुए) जल प्रदाय, मल, जल-निकास तथा स्वच्छता और आबंटित जल संसाधनों से अनुबंध । इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी सहायता ।

25. स्थानीय स्वायत्त प्रशासन की केन्द्रीय परिषद ।

26. दिल्ली में सरकारी भूमि का आबंटन ।

27. इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित सभी संलग्न या अधीनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन ।

28. ऐसी परियोजनाओं के सिवाय, जो किसी अन्य विभाग को विनिर्दिष्टत: आबंटित हैं, इस सूची में सम्मिलित किए विषयों के अंतर्गत आने वाली पब्लिक सैक्टर परियोजनाएं ।

29. नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 33) ।

30. दिल्ली नागरी कला आयोग, दिल्ली नागरी कला आयोग अधिनियम, 1973 (1973 का 1) ।

31. राजघाट समाधि समिति का प्रशासन ।

32. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की योजना और विकास तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) के प्रशासन से संबंधित सभी विषय ।

33. भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत न्यास (इन्टेक) से संबंधित विषय ।

34. आवास नीति और कार्यक्रम का तैयार किया जाना (ग्रामीण आवास को छोड़कर, जिसे ग्रामीण विकास गरीबी उपशमन और ग्रामीण रोजगार विभाग को सौंपा गया है) योजना स्कीमों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन, आवास, निर्माण सामग्री और निर्माण तकनीक संबंधी आंकड़ों का संग्रहण और प्रसारण, निर्माण लागत घटाने के लिए साधारण उपाय और राष्ट्रीय आवास नीति का केन्द्रीय उत्तरदायित्व ।

35. मानव बस्तियां जिसमें यूनाइटेड नेशन्स कमीशन फार ह्यूमन सेटलमेंट तथा आवासन और मानव-बस्ती के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता और तकनीकी सहायता भी है ।

36. नगर विकास जिसके अंतर्गत गंदी बस्ती सफाई स्कीमें तथा झुग्गी झोंपड़ी हटाने की स्कीमें भी हैं । इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता और तकनीकी सहायता ।

37. राष्ट्रीय सहकारी आवास परिसंघ ।

38. शहरी रोजगार और शहरी गरीबी उपशमन के विशिष्ट कार्यक्रम जैसे कि, नेहरू रोजगार योजना, शहरी गरीबों के लिए मूल सेवाएं और प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और समय-समय पर बनाए गए अन्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन ।'।

के. आर. नारायणन
राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/22/1/99-मंत्रि.]
वी. के. गाबा, अवर सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th April, 1999

S. O. 244 (E).— In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:-

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and Forty second Amendment) Rules, 1999.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,-

(1) in the First Schedule,-

(a) under the heading "25.Ministry of Planning and Programme Implementation (Yojana aur karyakram Karyanvayan Mantralaya)", for the sub-headings "(ii) Department of Statistics (Sankhyiki Vibhag)" and "(iii) Department of Programme Implementation (Karyakram Karyanvayan Vibhag)", the following shall be substituted, namely:-

"(ii)Department of Statistics and Programme Implementation (Sankhyiki aur Karyakram Karyanvayan Vibhag).";

(b) for the heading "28.Ministry of Rural Areas and Employment (Gramin Shetra aur Rozgar Mantralaya)" and the sub-headings thereunder, the following heading and sub-headings shall be substituted, namely:-

"28. Ministry of Rural Development (Gramin Vikas Mantralaya)

(i) Department of Rural Development (Gramin Vikas Vibhag)

(ii)Department of Land Resources (Bhu Sansadhan Vibhag) ";

(c) for the heading "33. Ministry of Urban Affairs and Employment (Shahari Karya aur Rozgar Mantralaya)" and the sub-headings thereunder, the following shall be substituted, namely:-

"33. Ministry of Urban Development (Shahari Vikas Mantralaya)";

(2) in the Second Schedule,-

(a) under the heading "MINISTRY OF AGRICULTURE (KRISHI MANTRALAYA)", under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION (KRISHI AUR SAHKARITA VIBHAG)", after entry 47, the following entry shall be inserted, namely:-

"47A. Warehousing in rural areas including rural godowns.";

(b) under the heading "MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (YOJANA AUR KARYAKRAM KARYANVAYAN MANTRALAYA)", for the sub-headings "B. DEPARTMENT OF STATISTICS (SANKHYIKI VIBHAG)" and "C. DEPARTMENT OF PROGRAMME IMPLEMENTATION" and the entries thereunder, the following sub-heading and entries shall be substituted, namely:-

"B. DEPARTMENT OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SANKHYIKI AUR KARYAKRAM KARYANVAYAN MANTRALAYA)

1. Act as the nodal agency for planning integrated development of the statistical system in the country.

2. Coordination of statistical work with a view to identifying gaps in data availability or duplication of statistical work in respect of Departments of the Government of India and State Statistical Bureaux (SSBs) and to suggest necessary remedial measures.

3. Laying down and maintenance of norms and standards, in the field of statistics, involving concepts and definitions, methodology of data collection, processing of data and dissemination of results.

4. Advise the Departments of the Government of India on statistical methodology and on statistical analysis of data.

5. Preparation of national and regional accounts as well as publication of annual estimates of national product, Government and private final consumption expenditure, capital formation, saving, estimates of capital stock and consumption of fixed capital, as also state level gross capital formation of supra-regional sectors and to prepare comparable estimates of State Domestic Product (SDP) at current prices.

6. Compilation and release of the index of industrial production (IIP) every month in the form of 'quick estimates'; conducting of Annual Survey of Industries (ASI); and providing of statistical information to assess and evaluate the changes in the growth, composition and structure of the organised manufacturing (factories) sector.

7. Organisation and conduct of periodic all India economic census and follow-up sample surveys.

8. Conducting of large scale all-India sample surveys for creating data base needed for studying the impact of specific problems for the benefit of different population groups in diverse socio-economic areas such as employment, consumer expenditure, housing conditions and environment, literacy levels, health, nutrition, family welfare, etc.

9. Examination of the survey reports from technical angle and evaluation of appropriate sampling design including survey feasibility studies/ techno-analytical studies in respect of surveys conducted by the National Sample Survey Organisation (NSSO) and other Central Ministries and Departments.

10. Providing of an in-house facility to process data collected through various socio-economic surveys and follow-up surveys of Economic Census conducted by the National Sample Survey Organisation and the Central Statistical Organisation.

11. Dissemination of statistical information on various aspects through a number of regular or ad-hoc publications to Government, semi-Government, or private data user/agencies; and dissemination of data, on request, to United Nations Agencies like United Nations School Organisation, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific and International Labour Organisation; and other relevant international agencies.

12. Giving grants-in-aid to registered non-governmental organisations and research institutions of repute for undertaking special studies or surveys, printing of statistical reports, and finance seminar, workshop, or conference relating to different subject areas of official statistics.

13. Functioning as the Cadre Controlling Authority and deal with the centralised aspects of managing the Indian Statistical Service including all matters pertaining to training, career planning and manpower planning.

14. The Indian Statistical Institute and ensuring its functioning in accordance with the provisions of the Indian Statistical Institute Act, 1959 (57 of 1959).

15. Monitoring of 20 point programme.

16. Monitoring of the performance of Infrastructure Sectors; and

17. Monitoring of projects of Rs.20 crores and above.".

(c) for the heading "MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (GRAMIN SHETRA AUR ROZGAR MANTRALAYA) and the sub-headings and entries relating thereto, the following heading, sub-headings and entries shall be substituted, namely:-

"MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (GRAMIN VIKAS MANTRALAYA)

A. DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT (GRAMIN VIKAS VIBHAG)

1. All matters relating to panchayati raj and panchayati raj institutions.

2. Nodal responsibility for all matters relating to the Minimum Needs Programme in rural areas in the field of elementary education, adult education, rural health, rural electrification and the nutrition programmes.

3. Water supply (subject to overall national perspective of water planning and coordination assigned to the Ministry of Water Resources), sewage, drainage and sanitation relating to rural areas. International cooperation and technical assistance in this field.

4. Public cooperation, including all matters relating to voluntary agencies for rural development and National Fund for Rural Development.

5. Cooperatives relatable to the items in this list.

6. All attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.

7. All matters relating to rural roads including those under the Minimum Needs Programme in the rural areas.

8. Road works financed in whole or in part by the Central Government in tribal areas of Assam specified in Part I and Part II of the Table appended to paragraph 20 of the Sixth Schedule to the Constitution.

9. All matters relating to cooperation with the Centre for Integrated Rural Development for Asia and Pacific (CIRDAP) and the Afro-Asian Rural Reconstruction Organisation (AARRO).

10. (a) All matters pertaining to rural employment or unemployment such as working out of strategies and programmes for rural employment including special works, wage or income generation and training related thereto;

(b) Implementation of the specific programmes of rural employment evolved from time to time.

(c) Micro level planning related to rural employment or unemployment and administrative infrastructure therefor.

11. Integrated rural development including small farmers development agency, marginal farmers and agricultural labourers, etc.

12. Rural housing including Rural Housing Policy and all matters germane and incidental thereto under country or rural planning, in so far as it relates to rural areas.

B. DEPARTMENT OF LAND RESOURCES

1. Land reforms, land tenures, land records, consolidation of holding and other related matters.

2. Administration of the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894) and matters relating to acquisition of land for purposes of the Union.

3. Recovery of claims in a State in respect of taxes and other public demands, including arrears of land revenue and sums recoverable as such arrears, arising outside that State.

4. Land, that is to say, collection of rents, transfer and alienation of land, land improvement and agricultural loans excluding acquisition of non-agricultural land or buildings, town planning improvements.

5. Land revenue, including the assessment and collection of revenue, survey of revenue purposes, alienation of revenues.

6. Duties in respect of succession to agricultural land.

7. National Wastelands Development Board.

8. National Land Use and Wasteland Development Council.

9. Promotion of rural employment through Wastelands Development.

10. Promotion of production of fuelwood, fodder and timber on non-forest lands, including private wastelands.

11. Research and development of appropriate low cost technologies for increasing productivity of wastelands in sustainable ways.

12. Inter-departmental and inter-disciplinary coordination in programme planning and implementation of the Wastelands Development Programme including training.

13. Promotion of people's participation and public cooperation and coordination of efforts of Panchayats and voluntary and non-Government agencies for Wastelands Development.

14. Drought prone area programmes.

15. Desert Development Programmes.";

(d) for the heading "MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHAHARI KARYA AUR ROZGAR MANTRALAYA)" and the sub-headings and entries relating thereto, the following heading and entries shall be substituted, namely:-

"MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHAHARI VIKAS MANTRALAYA)

1. Properties of the Union, whether lands or buildings, with the following exceptions :-

(i) Those belonging to the Ministry of Defence (Raksha Mantralaya) the Ministry of Railways (Rail Mantralaya) and the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag) and the Department of Space (Antariksh Vibhag).

(ii) Buildings or lands, the construction or acquisition of which has been financed otherwise than from the Civil Works Budget; and

(iii) Buildings or lands, the control of which has at the time of construction or acquisition or subsequently been permanently made over to other Ministries and Departments.

2. All Government Civil Works and Buildings including those of Union territories excluding Roads and excluding works executed by or buildings belonging to the Ministry of Railways (Rail Mantralaya), Department of Posts (Dak Vibhag), Department of Telecommunications (Doorsanchar Vibhag), Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag) and the Department of Space (Antariksh Vibhag).

3. Horticulture operations.

4. Central Public Works Organisation.

5. Administration of Government estates including Government Hostels under the control of the Ministry. Location or dispersal of offices in or from the metropolitan cities.

6. Allotment of accommodation in Vigyan Bhawan.

7. Administration of the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952 (30 of 1952).

8. Administration of Delhi Hotels (Control of Accommodation Act, 1949 (24 of 1949).

9. The Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971).

10. Administration of four Rehabilitation Markets viz. Sarojini Nagar Market, Shankar Market, Pleasure Garden Market and Kamla Market.

11. Issue of lease or conveyance deeds in respect of Government built properties in Delhi and New Delhi under the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954) and conversion of lease deeds, allotment of additional strips of land and correctional areas adjoining such properties.

12. Stationery and Printing for the Government of India including official publications.

13. Planning and Coordination of urban transport systems, with technical planning and road based systems being subject to items 22 and 23 under the Ministry of Surface Transport (Jal-Bhootal Pariwahan Mantralaya) and technical planning of rail based systems being subjects to items 1 and 2 under the Ministry of Railways (Rail Mantralaya), Railway Board (Rail Board).

14. Town and Country Planning; matters relating to the Planning and Development of Metropolitan Areas, International Cooperation and technical assistance in this field.

15. Schemes of large scale acquisition, development and disposal of land in Delhi.

16. Delhi Development Authority.

17. Master Plan of Delhi, Coordination of work in respect of the Master Plan and Slum Clearance in the National Capital Territory of Delhi.

18. Erection of memorials in honour of freedom fighters.

19. Administration of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957).

20. The Delhi Rent Control Act, 1958 (59 of 1958).

21. Development of Government Colonies.

22. Local Government, that is to say, the constitution and powers of the Municipal Corporations (excluding the Municipal Corporation of Delhi), Municipalities (excluding the New Delhi Municipal Committee), other Local Self-Government Administrations excluding Panchayati Raj Institutions.

23. The Delhi Water Supply and Sewage Disposal Undertaking of the Municipal Corporation of Delhi.

24. Water supply (subject to overall national perspective of water planning and coordination assigned to the Ministry of Water Resources), sewage, drainage and sanitation relating to urban areas and linkages from allocated water resources. International cooperation and technical assistance in this field.

25. The Central Council of Local Self-Government.

26. Allotment of Government land in Delhi.

27. All attached or Subordinate Offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.

28. Public Sector Projects falling under the subjects included in this list, except such projects as are specifically allotted to any other Department.

29. The Urban Land (Celling and Regulation) Act, 1976 (33 of 1976).

30. Delhi Urban Art Commission, the Delhi Urban Art Commission Act, 1973 (1 of 1973).

31. Administration of Rajghat Samadhi Committee.

32. All matters relating to Planning and Development of the National Capital Region and administration of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (2 of 1985).

33. Matters relating to the Indian National Trust for Art and Cultural Heritage (INTACH).

34. Formulation of housing policy and programme (except rural housing which is assigned to the Department of Rural Development, Poverty Alleviation and Rural Employment (Gramin Vikas, Garibi Upshaman aur Gramin Rozgar Vibhag), review of the implementation of the Plan Schemes, collection and dissemination of data on housing, building materials and techniques, general measures for reduction of building costs and nodal responsibility for National Housing Policy.

35. Human Settlements including the United Nations Commission for Human Settlements and International Corporation and Technical Assistance in the field of Housing and Human Settlements.

36. Urban Development including Slum Clearance Schemes and the Jhuggi and Jhonpri Removal Schemes. International Cooperation and technical assistance in this field.

37. National Cooperative Housing Federation.

38. Implementation of the specific programmes of Urban Employment and Urban Poverty Alleviation, such as Nehru Rozgar Yojana (NRY), Urban Basic Services for the Poor (UBSP), and Prime Minister's Integrated Urban Poverty Eradication Programme (PMI UPEP) and other programmes evolved from time to time."

K. R. NARAYANAN

PRESIDENT

[F. No. 1/22/1/99-Cab.]

V. K. GAUBA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054